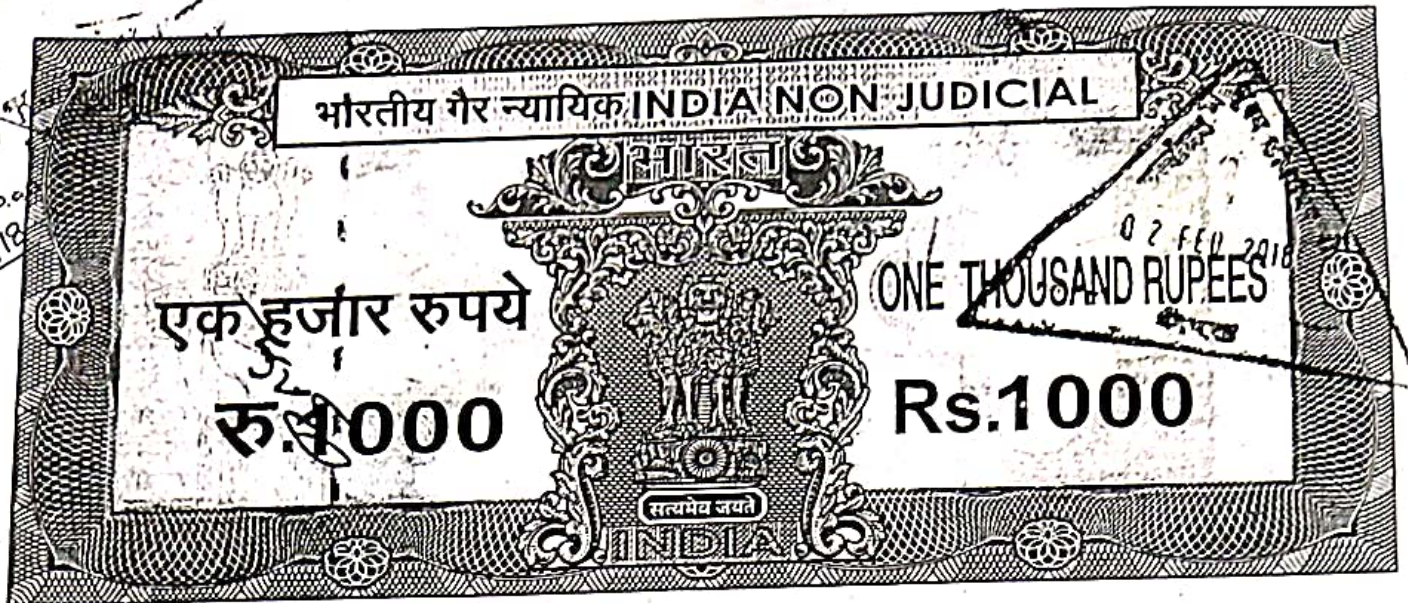


2020

12/3/18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 423164

1

ॐ

वैनामा

कार्यालय सब रजिस्ट्रार सूरधनामेरठ।

विक्रय मूल्य अंकन :- 70000/-रुपये।
बाजारी मूल्य अंकन :- 70000/-रुपये।
स्टाम्प शुल्क :- 3500/-रुपये।

- 1:- विक्रीत भूमि भूमिधरी ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर स्थित है।
- 2:- विक्रीत भूमि भूमिधरी कृषि भूमि है और कृषि हेतु ही विक्रय की जा रही है।
- 3:- विक्रीत भूमि भूमिधरी में कोई वृक्ष नहीं है।
- 4:- विक्रीत भूमि भूमिधरी की सिंचाई प्राइवेट नलकूप द्वारा होती है।
- 5:- विक्रीत भूमि-भूमिधरी का सर्किल रेट 46,00,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित है। जो प्रारूप 2/4 वी कोड 197 के क्रमांक 269 पर अंकित है। चूंकि विक्रीत खसरा नम्बर लिंक मार्ग पर स्थित है इस कारण सर्किल रेट में 20 प्रतिशत की वृद्धि करके यानि अंकन 55,20,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

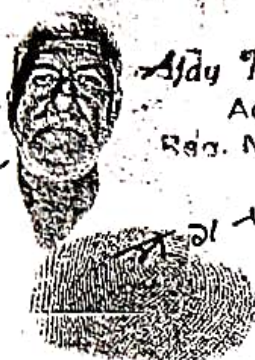
PARSON
Charitable & Welfare Trust

महानगरिका

Seeding
Charitable

विभागीय...	
पत्रिका का नाम...	108.2 (पृष्ठ 10)
पत्रिका का...	पत्रिका
पत्रिका का प्रकार...	पत्रिका
पत्रिका देने का...	
पत्रिका दिनांक...	कलकत्ता सिंह
पत्रिका दिनांक/...	M.T. 145/03-09
पत्रिका स्थान का...	कलकत्ता सिंह, मेरठ।
पत्रिका का...	
	5/2/18
	60
	50 स्टाम्प विक्रेता

मेरठ 31.12.17 मजदूरों की दि. 16
91 सत सिंह मर



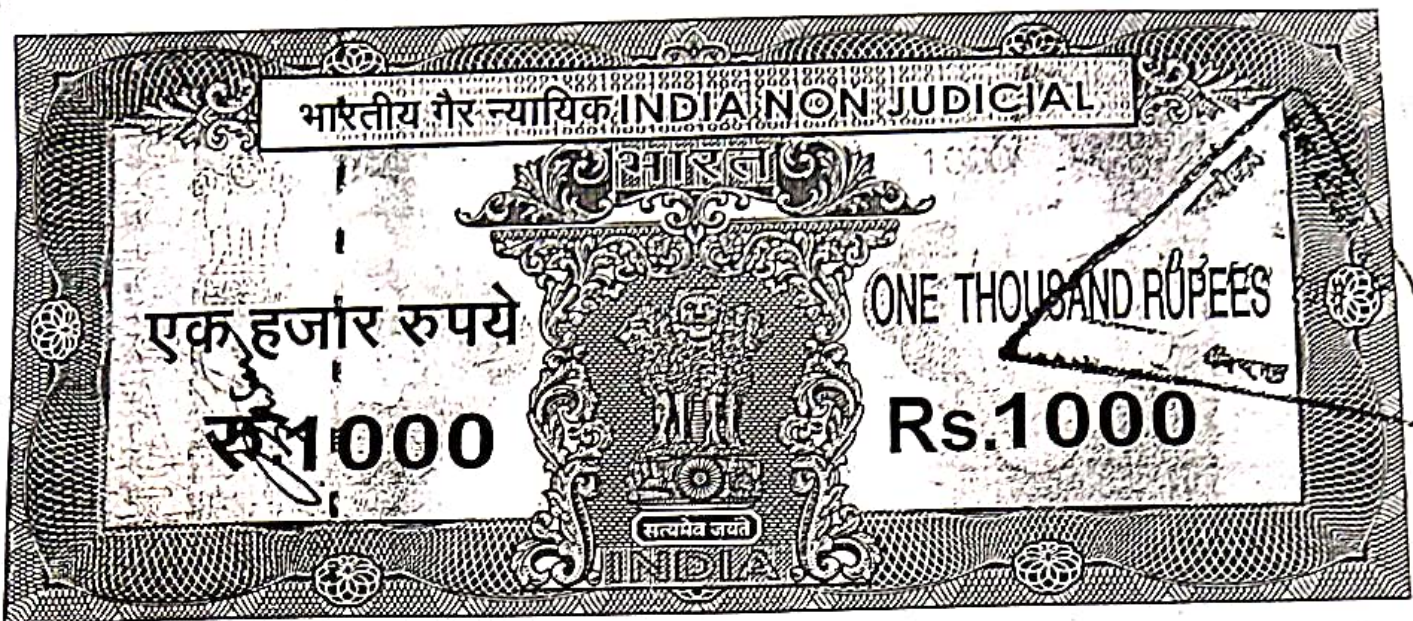
Ramesh Kumar
Advocate
Reg. No. 76051400



Ramesh Kumar
Advocate
Reg. No. 76051400



Ramesh Kumar
Advocate
Reg. No. 76051400



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 423165

2

- 6- विक्रीत भूमि भूमिधरी राष्ट्रीय मार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है जिवकी लिंक मार्ग पर स्थित है।
- 7:- विक्रीत भूमि भूमिधरी के 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आवादी नहीं है।
- 8- विक्रेता आदिवासी व अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।
- 9- इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (ए) का सत्यपूर्वक पालन किया गया है।
- 10- इस विक्रय पत्र पर अधिसूचना आदेश संख्या स० वि० क० नि० 5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30.6.2008 ई० के अनुसार स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है।
- 11- विक्रीत भूमि में क्रेता विक्रेता की भूमि का मेड मिलान होने के कारण कृषि में वैनामा किया जा रहा है।

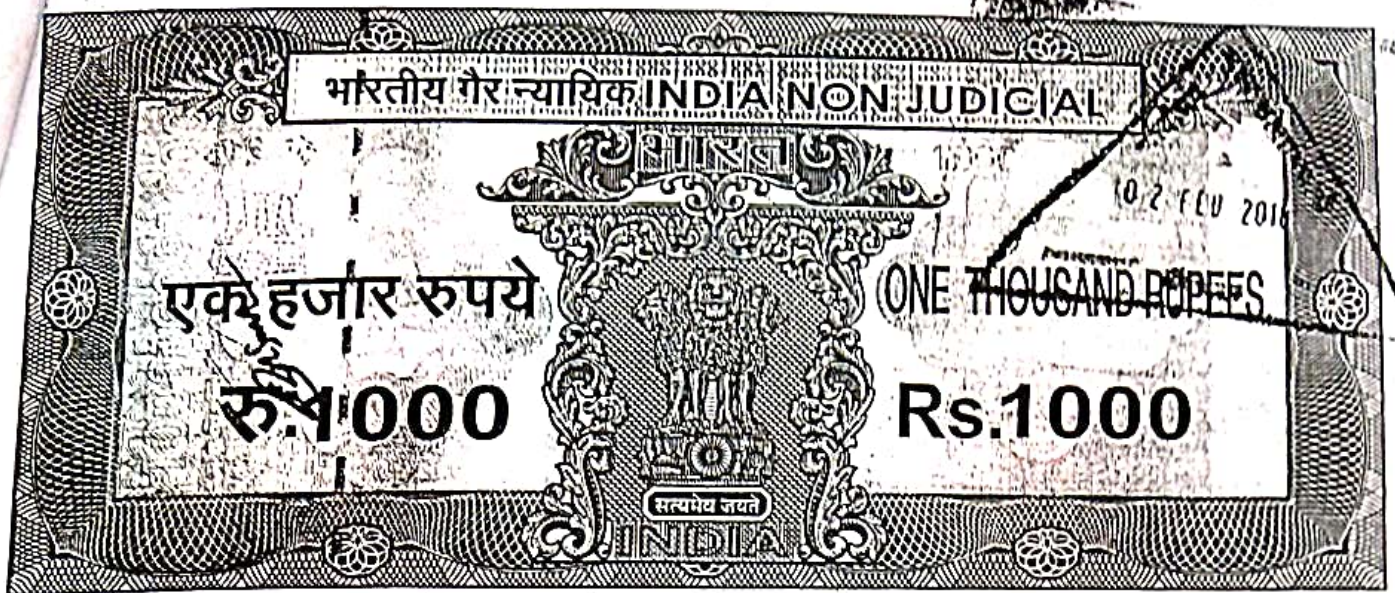
UIDN:- 1186000658-0-000-12

विक्रय पत्र ओर से श्री मगनवीर सिंह पुत्र स्व० श्री राम रतन सिंह निवासी ग्राम भलसौना तहसील सरधना जिला मेरठ आधार नम्बर 5849 5223 3935-मो०-9837300793-प्रथम पक्ष। (विक्रेता)

PAHLSON
Charitable & Welfare Trust

Charitable & Welfare Trust





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

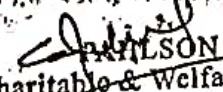
BB 423166

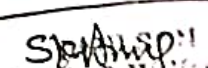
3

बहक

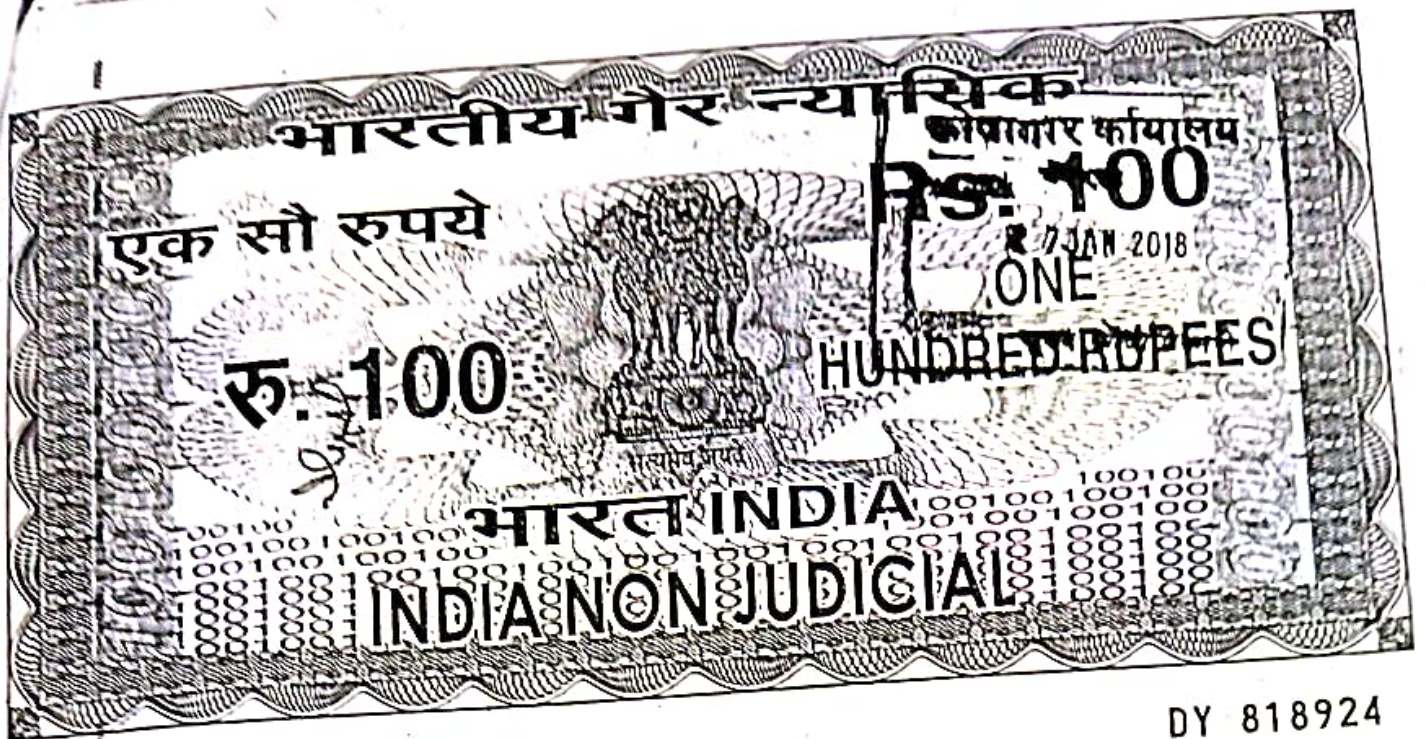
'पहलसन चैरिटेबल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट' 291 सन्त विहार (निकट श्रद्धापुरी
सैक्टर 4 फेस 1) मेरठ कैन्ट द्वारा चन्द्रवीर पहल पुत्र श्री सुखवीर सिंह
निवासी 291 सन्त विहार मेरठ कैन्ट-----चैयरमैन/ट्रस्टी पैन नम्बर
एसीयूपीवी0782सी व श्री सत्येन्द्र कुमार आर्य पुत्र श्री सुखवीर सिंह निवासी
बी 114 सैक्टर 01 शताब्दी नगर मेरठ शहर आधार नम्बर 9782 5435
0618 मो-9897063644-----सचिव/ट्रस्टी पैन नम्बर
एईएक्सपीए4158सी-मो0-9897063644-----द्वितीय पक्ष।

जो कि अपना कुल हक व हिस्सा (सिमेंट) विक्रीत क्षेत्रफल 0.0126 हैक्टेयर अज
खसरा नम्बर 658 सालिम रकबई 1.2230 हैक्टेयर खाता खतौनी संख्या
00132 लगानी परता खाता सीलाना स्थित ग्राम भलसौना तहसील सरधना
जिला मेरठ, के प्रथम पक्ष वास्तविक स्वामी व काश्तकार भूमिधर विक्रय अधिकारी है


Charitable & Welfare Trust


Charitable & Welfare Trust

म ०१-१०८२/१४



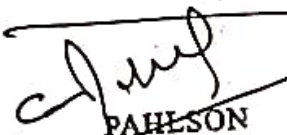
DY 818924

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

खारिज करा लेने की अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का भी उक्त विक्रीत भूमि-भूमिधरी से शेष नहीं रहा है और ना ही भविष्य में होगा। और कब्जा मौके पर कतई खाली भूमि-भूमिधरी का प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को सुपुर्द कर दिया है और द्वितीय पक्ष ने कब्जा प्राप्त कर लिया है अब द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह उक्त भूमि-भूमिधरी के राजस्व अभिलेखों में अपना नाम बतौर स्वामी के रूप में अंकित करा लें। यदि अब अथवा भविष्य में प्रथम पक्ष के स्वामित्व

मा. नं. १५८८-


PAHLSON
Charitable & Welfare Trust

PAHLSON
Charitable & Welfare Trust

Secretary





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DY 818925

7

की त्रुटिवश अथवा किसी वैधानिक दोष वश उक्त विक्रीत भूमिधरी अथवा उसका अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकल जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी की दशा हो क्षति व खर्चा बैनामा व कानूनी ब्याज व वाद-व्यय आदि सहित प्रथम पक्ष एवं उनके उत्तराधिकारीगण की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने प्राप्त कर ले, जिसमें प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यह बैनामा स्वस्थ मूल व निर्मल इन्द्रियो की अवस्था में बिना किसी जोर दबाव के गवाहों के समक्ष लिखा दिया है ताकि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे। इति॥

मग-1002/12

SAHLSON
Charitable & Welfare Trust

SAHLSON
Charitable & Welfare Trust

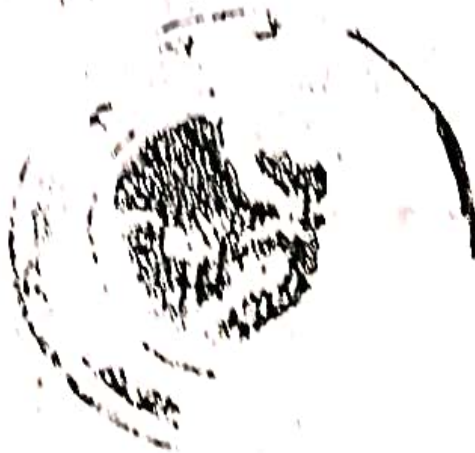
Secretary/Trustee

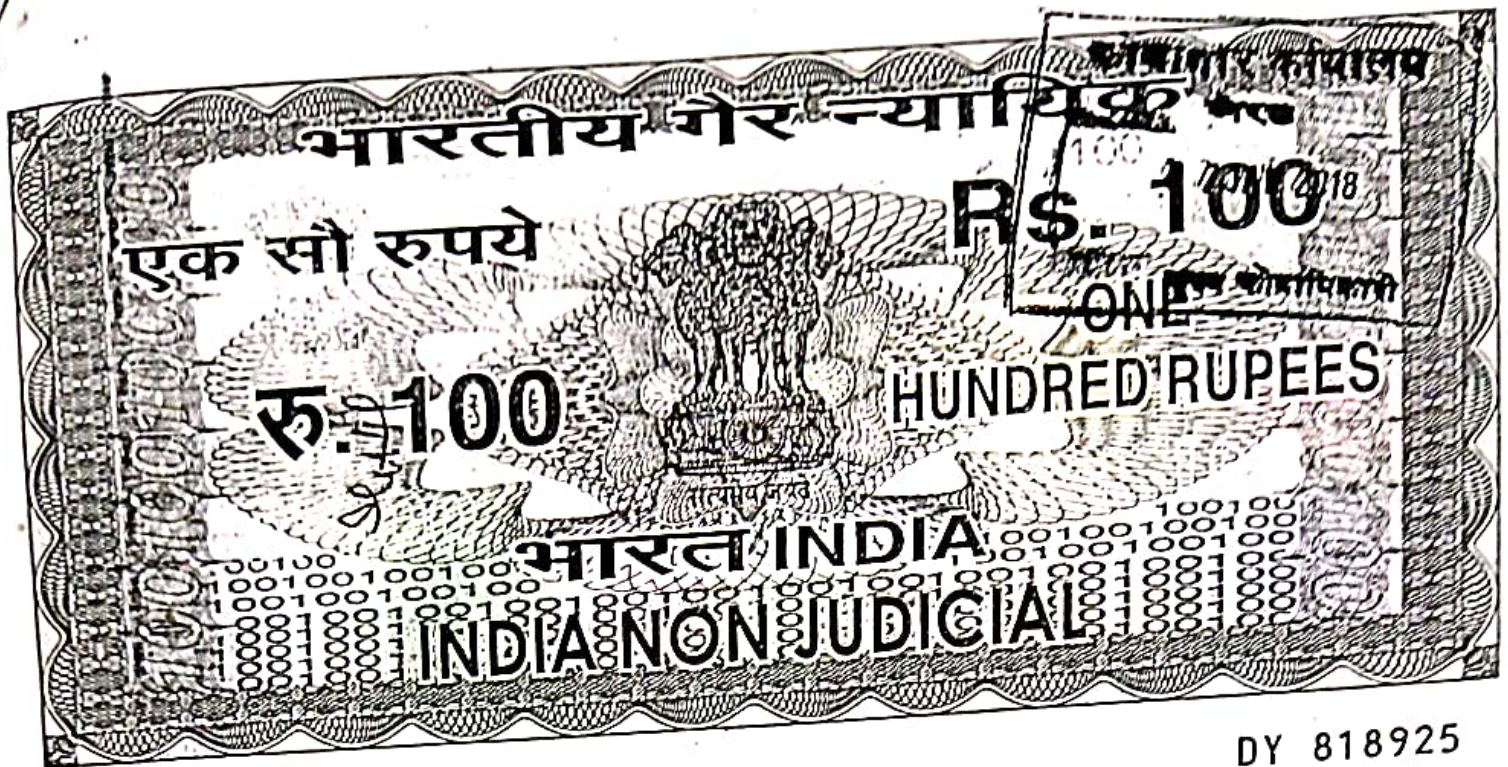


2111-1-1888

सिस्टीकरण अभिलेखी के हस्ताक्षर

१७/११
 २५ निर्वाण सारथी २६/२/२०१७
 गैर





DY 818925

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7

की त्रुटिवश अथवा किसी वैधानिक दोष वश उक्त विक्रीत भूमिधरी अथवा उसका अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा आधिपत्य आदि से निकल जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी की दशा हो क्षति व खर्चा बैनामा व कानूनी ब्याज व वाद-व्यय आदि सहित प्रथम पक्ष एवं उनके उत्तराधिकारीगण की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार उचित जाने प्राप्त कर ले, जिसमें प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यह बैनामा स्वस्थ मून व निर्मल इन्द्रियो की अवस्था में बिना किसी जोर दबाव के गवाहों के समक्ष लिखा दिया है ताकि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे। इति॥

मग-1002572

[Signature]
CHARITABLE & Welfare Trust



[Signature]
Charitable & Welfare Trust

Secretary/Trustee





मैला: 2

श्री पहलवान पैरिटेबल एण्ड पैलफेयर ट्रस्ट के द्वारा सत्येन्द्र कुमार आर्य, सधिय/ट्रस्टी, पुत्र श्री सुखवीर सिंह नियोगी की...

नियमासी: पी 114 सैक्टर 1 शताब्दी नगर भोरठ आपोर 4782
5435 0618

व्यवसायः वफातत

ने निष्पादन स्वीकार किया

परिधानवृत्तिः ।

श्री अजय कुमार शर्मा एडवोकेट

नियमासी: 398/3 शास्त्री नगर मेरठ-200 7610 5118

टयवसायः यफालत

परिधानकर्ता : 2

श्री अनुज कुमार, पुत्र श्री राम किशान

नियमासी: ग्राम सुन्दर उर्फ पूछ जिला मेरठ पृष्ठ टी एस एफ
3482155

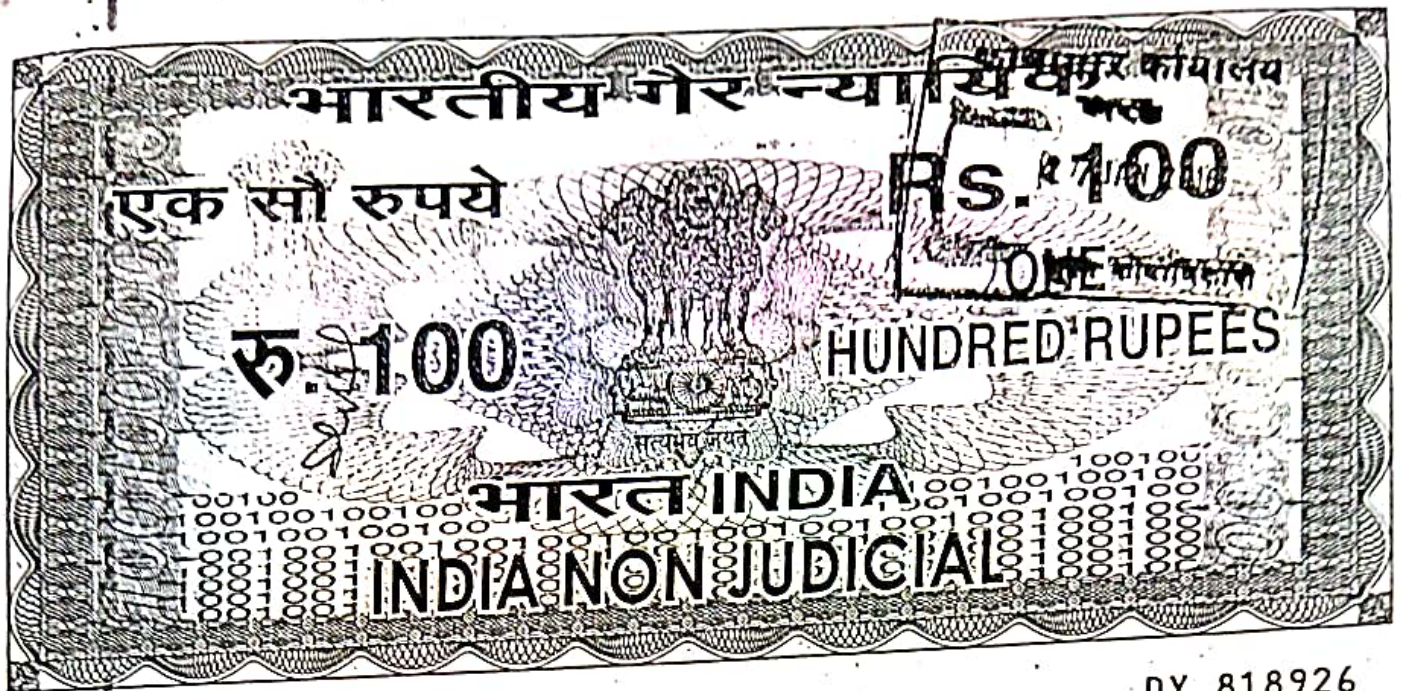
द्वयवसायः अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम प्रयत्नः

उप निबंधक : सरधना 6/2/2018
मेरठ



DY 818926

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

:- विवरण प्राप्ति सम्पूर्ण विक्रय मूल्य :-
1-अंकन- 70000/- रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से नकद पूर्व में विभिन्न तिथियो में प्राप्त किये। जो प्रथमपक्ष को प्राप्त होने स्वीकार है।

PAHLSON
Charitable & Welfare Trust

PAHLSON
Charitable & Welfare Trust

Secretary/Trustee

मगर-मर, मर



1 गवाह

अजय कुमार शर्मा
पुत्र श्री के०सी० शर्मा
निवासी 398/3 शास्त्री नगर मेरठ



2 गवाह

अनुज कुमार
पुत्र श्री रामकिशन
निवासी ग्राम सुन्दा उर्फ पूठा मेरठ



तहरीर तारीख- 06-02-2018 ई० मसविदा श्री अजय कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ।

Advocate Meerut
No. 7600

पुष्टि विवरण 60

53 46

सामान्य/विशेष	
स्टाम्प का मूल्य	
उत्प्रेषित का मूल्य	
पता	
संलग्न का मूल्य	
एक स्टाम्प इत्यादि का मूल्य	
स्टाम्प विवरण का मूल्य	
सामान्य/विशेष	
विशेष स्वरूप का मूल्य	
विक्रय का तिथि	5/2/18
कृपया ध्यान दें, मरज	
हो स्टाम्प विवरण	

http://figsup.gov.in/figsup/showEndorsReport_hand_60

यही संख्या 1 जिल्द संख्या 7904 के पृष्ठ 157 से 174 तक क्रमांक 2020 पर दिनांक 06/02/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रेम प्रकाश

उप निबंधक : सरधना

मेरठ

SATYENDRA KUMAR ARYA

Advocate
Reg. No.: 5055/03

Registered, Court, Meerut

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP54077001354188W

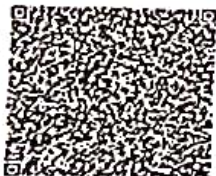
e-Stamp

12600

Invest
22/8/24

006

Certificate No.	: IN-UP54077001354188W
Certificate Issued Date	: 22-Aug-2024 11:58 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14438404/ MEERUT SADAR/ UP-MRT
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1443840406472738370016W
Purchased by	: PAHLSON INTERNATIONAL SCHOOL JATPURA MEERUT
Description of Document	: Article 35 Lease
Property Description	: PROPERTY (AHATA) KHASRA NO-224 AT VILL JATPURA MEERUT.
Consideration Price (Rs.)	: SH PAWAN KUMAR
First Party	: PAHLSON INTERNATIONAL SCHOOL JATPURA MEERUT
Second Party	: PAHLSON INTERNATIONAL SCHOOL JATPURA MEERUT
Stamp Duty Paid By	: PAHLSON INTERNATIONAL SCHOOL JATPURA MEERUT
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 5,000 (Five Thousand only)



Please write or type below this line

For Pahlson International School

महेश कुमार



Chairman

Chairman



IPJD 0023426636


पवन कुमार
SATYENDRA KUMAR ARYA
Advocate
Reg. No.: 5055/03
Registry Compound, Civil Court, Meerut


S/1:
S/2:
Registry Compound, Civil Court, Meerut

For Pritson International School

ॐ

किरायानामा मियादी 21 वर्ष

Chairman

स्टाम्प शुल्क 5000/- रुपये का ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नं० IN-UP54977061354188W
दिनांक 22-08-2024ई० इस किरायेनामे पर अदा किया गया है।

हम कि श्री पवन कुमार पुत्र श्री ओमपाल निवासी ग्राम भलसौना तहसील
सरघना व जिला मेरठ (आधार नं० XXXX XXXX 2665) (पेन नं० DUWPP2833K)
.....प्रथम पक्ष॥भूमि स्वामी॥

व

पहलसन इण्टरनेशनल स्कूल, जटपुरा कांवड़ मार्ग (भलसौना पुल के सामने)
मेरठ द्वारा डायरेक्टर/चेयरमैन श्री चन्द्रवीर पुत्र श्री सुखवीर सिंह निवासी 291,
सन्त विहार कॉलोनी निकट सैक्टर-4, श्रद्धापुरी फेस-1, मेरठ कैन्ट (आधार नं०
XXXX XXXX 4825) (पेन नं० ACUPV0782C).....द्वितीय पक्ष॥किरायेदार॥

पवन कुमार

For Pritson International School
Chairman



3. यह कि यदि द्वितीय पक्ष/किरायेदार उक्त सम्पत्ति का किराया प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में एक माह के अन्दर अदा नहीं करते हैं तो प्रथम पक्ष/सम्पत्ति स्वामी, द्वितीय पक्ष/किरायेदार की किरायेदारी समाप्त करने, उक्त एग्रीमेन्ट को कानूनी कार्यवाही द्वारा निरस्त करने व द्वितीय पक्ष को वेदखल करके अपना समस्त किराया वसूल करने के अधिकारी होंगे जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति की किरायेदारी की वास्तविक किराये की धनराशि को प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष द्वारा चेक/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/नकद प्रथम पक्ष को अदा करने के पाबन्द रहेंगे।
5. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति (अहाता) में अपने प्रयोग की जरूरत के हिसाब से द्वितीय पक्ष अपने नाम से बिजली का कनेक्शन/पानी का कनेक्शन ले सकेंगे तथा इस्तेमाल की गई बिजली का बिल तथा इस्तेमाल किये गये पानी के बिल की धनराशि, द्वितीय पक्ष/किरायेदार, किराये की धनराशि से अलग सम्बन्धित विभाग में जमा करेंगे जिसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि यदि द्वितीय पक्ष की किरायेदारी की अवधि में उपरोक्त सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष के प्रयोग से सम्बन्धित कोई टैक्स आदि लगेगा उसके भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी किसी भी टैक्स से प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध या वास्ता नहीं होगा।
7. यह कि सम्पत्ति (अहाता) में द्वितीय पक्ष अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी अस्थाई निर्माण आदि कर सकेंगे। बिना प्रथम पक्ष की सहमति के द्वितीय पक्ष ऐसा कोई निर्माण नहीं करेंगे जिससे उक्त सम्पत्ति की मूल प्रकृति परिवर्तित हो।
8. यह कि उक्त सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष तन्हा तौर पर बहैसियत किरायेदार किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को बतौर शिकमी किरायेदार रखने के अधिकारी नहीं होंगे।

एवम लुभार



For Pakistan International School

[Signature]

Chairman



आवेदन सं०: 202400734065529

पत्रा अनुबंध वित्त

वर्ष: 2024

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 13600

प्रतिफल: 0 स्टाम्प शुल्क - 5000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1150 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 1210

श्री पवन कुमार,

पुत्र श्री ओमपाल

व्यवसाय: अन्य

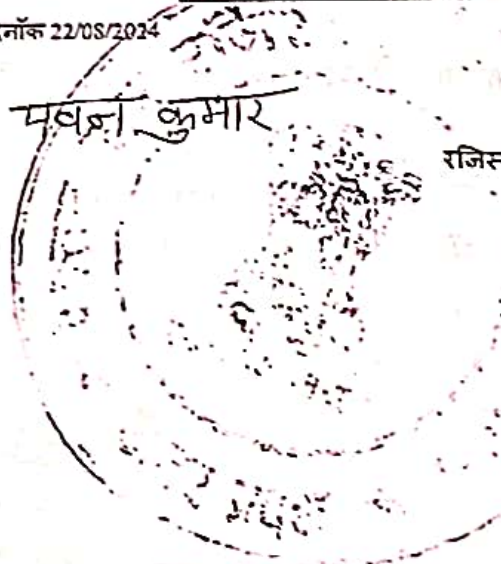
निवासी: ग्राम भलसौना तहसील सरधना जिला
मेरठ



ने यह लेखपत्र इत कार्यालय में दिनांक 22/08/2024

एवं 01:52:40 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हर्षवर्धन यादव.

उप निबंधक : सदर तृतीय

मेरठ

22/08/2024

अनिल कुमार.

निबंधक लिपिक

22/08/2024

प्रिंट करें

9. यह कि किरायेदारी अवधि की समाप्ति के समय द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति का खाली कब्जा जिस स्थिति में है उसी स्थिति में प्रथम पक्ष/सम्पत्ति स्वामी को ही सुपुर्द करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया जायेगा, यदि किरायेदारी समाप्ति पर, द्वितीय पक्ष सम्पत्ति को खाली नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष कानूनी कार्यवाही करके उक्त सम्पत्ति का कब्जा वापस हासिल कर सकेंगे।
10. यह कि इस किरायेनामे की आपसी तयशुदा शर्तों के आधार पर दोनों पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि दोनों पक्ष आपसी सहयोग व भाईचारे के आधार पर इस किरायेनामे की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, जिसके उपरान्त दोनों पक्षों की आपसी सहमति से भविष्य में नवीन तयशुदा लिखित शर्तों के आधार पर किरायेनामा तहरीर किये जाने के बाद विधिवत तौर पर निष्पादित कराये जाने का अधिकार प्राप्त होगा।
11. यह कि उक्त सम्पत्ति की किरायेदारी से सम्बन्धित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर विवाद इस रजिस्टर्ड किरायेनामे के आधार पर ही सुलझाया जायेगा।
12. यह कि किरायेनामे की उपरोक्त धाराओं के दोनों पक्षकार व उनके उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे।
13. यह कि पहलसन इण्टरनेशनल स्कूल की समस्त कार्यवाहियाँ चैयरमैन/डायरेक्टर द्वारा की जायेंगी लेकिन उनकी अनुपस्थिति में स्कूल/ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही पहलसन इण्टरनेशनल स्कूल/पहलसन चैरिटेबल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव/सेक्रेटरी द्वारा की जा सकेंगी।

मन कुमार



For Pahlson International School

[Signature]

Chairman



आवेदन संख्या: 2023/11/10/10000

दिनांक: 10/11/2023

पृष्ठ संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1

निम्नलिखित लेखक का हस्ताक्षर व सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए
पहचानपत्र प्रस्तुत करें।
पदवा: 1

श्री सत्यनंद कुमार आर्य, पुत्र श्री श्रीमण्डल
निवासी, राम मल्लिका, तहसील,
सुरदास जिला, मेरठ
व्यवसाय: अन्य
पदवा: गृहीता: 1



श्री सत्यनंद कुमार आर्य, पुत्र श्री सुखवीर सिंह
निवासी, राम मल्लिका, तहसील, सुरदास जिला, मेरठ
व्यवसाय: अन्य
पदवा: गृहीता: 2



ने निम्नलिखित स्वीकार किया। निम्नलिखित पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री सत्यनंद कुमार आर्य, पुत्र श्री
सुखवीर सिंह
निवासी, राम मल्लिका, तहसील, सुरदास जिला, मेरठ
व्यवसाय: अन्य
पहचानकर्ता: 2



14. यह कि उक्त सम्पत्ति का किराया दोनों पक्षकारों की सहमति से प्रथम दो वर्ष का किराया अंकन 30,000/- रुपये होता है तथा तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए अंकन 31,500/- रुपये होता है तथा पांचवें वर्ष से छठे वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराया 33,075/- रुपये होता है तथा अगले सातवें वर्ष से आठवें वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए अंकन 34,729/- रुपये होता है तथा अगले नौवें वर्ष से दसवें वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए अंकन 36,465.19/- रुपये होता है तथा ग्यारहवें वर्ष से बारहवें वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए अंकन 38,289/- रुपये होता है तथा तेरहवें वर्ष से चौदहवें वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए अंकन 40,203/- रुपये होता है तथा पन्द्रहवें वर्ष से सोलहवें वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए अंकन 42,215/- रुपये होता है तथा सत्रहवें वर्ष से अट्ठारहवें वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए अंकन 44,326/- रुपये होता है तथा उन्नीसवें वर्ष से बीसवें वर्ष तक 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराया अंकन 46,543/- रुपये होता है तथा इक्कीसवें वर्ष का किराया 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराया अंकन 23,272/- रुपये होता है इस प्रकार 21 वर्ष का कुल किराया अंकन 4,01,000/- रुपये होता है। जिसमें बिजली पानी या अन्य कोई टैक्स शामिल नहीं है। उक्त प्रतिवर्ष के किराये को द्वितीय पक्ष प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में प्रथम पक्ष को अदा करने के पाबन्द रहेंगे।

14. यह कि यह किरायानामा जिसकी अवधि 21 वर्ष है लिख दिया गया है ताकि प्रमाणित एवं उपयोगी हो और वक्त जरूरत पर काम आये।

पवन कुमार



Far East International School

[Signature] Chairman



श्री आननारा शर्मा, पुत्र श्री अरविन्द
शर्मा
निवासी: मुंजा विहार गढ़ रोड गेरठ
व्यवसाय: बगानसरा



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Handwritten signature]

ने की। प्रत्यक्षतः गढ़ साक्षियों के
निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए
हैं।
टिप्पणी:

हर्षवर्धन यादव.
उप निबंधक: रादर तृतीय
गेरठ
22/11/2024

अनिल कुमार.
निबंधक लिपिक गेरठ
22/11/2024



विवरण स्टाम्प शुल्क अदायगी :-
 उक्त सम्पत्ति का 21 वर्ष का कुल किराया राउण्ड फिगर में अंकन 4,01,000/-
 रुपये होता है जिसका एक वर्ष का औसत वार्षिक किराया अंकन 19,100/- रुपये
 होता है जिसका 6 गुणा अंकन 1,14,600/- रुपये होता है फिर भी अंकन
 1,15,000/- रुपये पर 4 प्रतिशत की दर से नियमानुसार अंकन 5000/- रुपये
 का स्टाम्प अदा किया गया है।

पवन कुमार



For Prison International School

Chairman



गवाह-1

सत्येन्द्र कुमार आर्य

पुत्र श्री सुखवीर सिंह

नि0 सैक्टर-1 शताब्दीनगर मेरठ



गवाह-2

आकाश शर्मा

पुत्र श्री अरविन्द शर्मा

नि0 कुंज विहार गढ़ रोड मेरठ

दिनांक :- 22-08-2024 ई0। मसविदा श्री सत्येन्द्र कुमार आर्य एडवोकेट मेरठ।
 मो0नं0 9897063644

SATYENDRA KUMAR ARYA
 Advocate
 Reg. No.: 5055/03
 Registry Compound, Civil Court, Meerut

आवेदन सं०: 202400734065529

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 17326 के पृष्ठ
295 से 308 तक क्रमांक 13600 पर दिनांक
22 08 2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हरिवर्धन र. देव

रूपनिबंधक : र. दर तृतीय

मेरठ

22/08/2024